क्रम-संख्या–96

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

**भाग–1, खण्ड (क)**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

**लखनऊ, बृहस्पतिवार, 12 अप्रैल, 2018**

चैत्र 22, 1940 शक सम्वत्

**उत्तर प्रदेश शासन**

विधायी अनुभाग–1

संख्या 817 / 79-वि-1–18-1(क)1-18
लखनऊ, 12 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

**विविध**

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2018 पर दिनांक 10 अप्रैल, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 29 जनवरी, 2018 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 114 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 114 में खण्ड (21) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(21) सार्वजनिक बाजारों का निर्माण तथा अनुरक्षण और समस्त बाजारों, वधशालाओं और चर्म शोधन शालाओं का विनियमन;।"

धारा 422 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 422 में,

(क) खण्ड (क), (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

(क)- निगम द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किये जाने पर उसे निगम की सीमाओं के भीतर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसकी सीमाओं के बाहर किसी निगम बाजार या पशु-स्थान की स्थापना के प्रयोजनार्थ कोई भवन या भूमि निर्मित करना, क्रय करना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अर्जित करना और किसी विद्यमान निगम बाजार का विस्तार या उसमें सुधार करना ;

(ख)-समय-समय पर, ऐसे निगम बाजारों तथा पशु-स्थानों और ऐसी छोटी दुकानों, दुकानों, आश्रय स्थानों, बाड़ों तथा अन्य भवनों या सुख-सुविधा के स्थानों जो ऐसे निगम बाजारों, या पशु-स्थानों में व्यापार या व्यवसाय करने वाले या वहां पर प्रायः आने वाले व्यक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक समझे जायें, का निर्माण और अनुरक्षण करना ;

(ख) खण्ड च के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात :-

"(च) किसी निगम बाजार, पशु-स्थान में किसी छोटी दुकान, दुकान, खड़ा होने का स्थान, आश्रय-स्थान या बाड़ा या अन्य भवन के अध्यासन या प्रयोग के लिये, और किसी निगम बाजार में विक्रय के लिए वस्तुएं प्रदर्शित करने और ऐसे किसी बाजार में विक्रय की जाने वाली वस्तुओं को तौलने और मापने के अधिकार के लिए, ऐसा भाड़ा किराया और शुल्क प्रभारित करना, जो कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से, उस निमित्त समय-समय पर उसके द्वारा नियत किया जाय।"

(ग) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा अर्थात् :-

"(ज)-ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अधीन जिन्हें वह उपयुक्त समझे, किसी निगम बाजार, पशु-स्थान में, किसी छोटी दुकान, दुकान खड़ा होने का स्थान, आश्रय-स्थान या बाड़ा अथवा अन्य भवन के अध्यासन या उपयोग के विशेषाधिकार हेतु सार्वजनिक नीलामी करना या कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से निजी विक्रय द्वारा उसे निस्तारित करना।"

धारा 429 और 430 का निकाला जाना

4-मूल अधिनियम से धाराएं 429 और 430 निकाल दी जाएंगी।

निरसन और व्यावृत्ति

5-(1) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2018 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश. अध्यादेश संख्या 2 सन् 2018

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

## उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश में कतिपय नगरों के लिए नगर निगम स्थापित करने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 114 का खण्ड (21), अन्य बातों के साथ-साथ नगर निगम को बधशालाओं का निर्माण और अनुरक्षण करने के लिए प्राधिकृत करता है। उक्त अधिनियम की धारा 422 में नगर आयुक्त को खण्ड (क) में कोई निगम- बधशाला स्थापित करने के प्रयोजनार्थ किसी भवन या भूमि का निर्माण करने, क्रय करने, पट्टा पर लेने या अन्यथा अर्जित करने, खण्ड (ख) में किसी बधशाला का निर्माण और अनुरक्षण करने, खण्ड (घ) में कोई बधशाला बन्द करने और खण्ड (ज) में किसी बधशाला को अध्यासित करने या उसका उपयोग करने के विशेषाधिकार के निमित्त सार्वजनिक नीलामी हेतु प्रस्तुत करने या निजी विक्रय द्वारा उसका निस्तारण करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 429 और 430 में विक्रय के लिए किसी पशु का बध करने की अनुमति देने तथा क्रमशः किन्ही विशिष्ट प्रकार के पशुओं का बध करने के लिए परिसर नियत करने का उपबन्ध है। उक्त धारायें 429 तथा 430, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप नहीं थी, जो भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में संख्यांकित प्रविष्टियों के अधीन आने वाली केन्द्रीय अधिनियमितियां है। ऊपर उल्लिखित स्थिति में और रिट याचिका लक्ष्मी नारायण मोदी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के आलोक में यह विनिश्चय किया गया है की धारा 114 के खण्ड (21) तथा धारा 422 को संशोधित कर उसमें से 'वधशाला' शब्द को निकाल दिया जाय और धारा 429 तथा 430 को निकाल दिया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को लागू करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2018 ) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

---

No. 817(2)/LXXIX-V–1–18-1(ka) 1-18

*Dated Lucknow, April* 12, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Nigam (Sanshodhan) Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 10, 2018 .

# THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2018

(U. P. ACT NO. 25 OF 2018)

*(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)*

AN

ACT

*further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.*

IT IS HEREBY enacted in the Sixty- ninth Year of the Republic of India.

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment ) Act, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on January 29, 2018.

Amendment of section 114 of U.P. Act no. 2 of 1959

2. In section 114 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (xxi) the following clause shall be *substituted*, namely :-

"(xxi) the construction and maintenance of public markets and the regulation of all markets, slaughter- houses, and tanneries".

Amendment of section 422

3. In section 422 of the principal Act,–

(a) *for* clauses (a) and (b), the following clauses shall be *substituted*, namely:-

"(a) upon being authorised by the corporation in that behalf, to construct, purchase, take on lease or otherwise acquire any building or land for the purpose of establishing a corporation market or stockyard, within, and with the prior sanction of the State Government, without the limits of the corporation and of extending or improving any existing corporation market;

(b) from time to time, to build and maintain such corporation markets and stockyards and such stalls, shops, sheds, pens and other buildings or conveniences as may be deemed necessary for the use of the persons carrying on trade or business in, or frequenting, such corporation markets or stockyards";

(b) *for* clause (f) the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(f) to charge for the occupation or use of any stall, shop, standing, shed or pen or other building in a corporation market, stockyard, and for the right to expose goods for sale in a corporation market, and for weighing and measuring goods sold in any such market, such stallages, rents and fees as shall from time to time be fixed by him, with the approval of the Executive Committee, in that behalf";

(c) *for* clause (h) the following clause shall be *substituted*, namely:-

"(h) to put up to public auction, or with the approval of the Executive Committee, dispose of, by private sale, for privilege of occupying or using any stall, shop, standing, shed or pen or other building in a corporation market, stockyard for such terms and on such conditions as he shall think fit".

Omission of sections 429 and 430

4. Sections 429 and 430 of the principal Act shall be *omitted*.

Repeal and saving

5. (1) The Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2018 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 2 of 2018

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 has been enacted to provide for the establishment of the Municipal Corporations for certain cities in Uttar Pradesh. Clause (xxi) of section 114 of the said Act *inter alia* empowers a Municipal Corporation to construct and maintain the slaughter houses. In section 422 of the said Act the Municipal Commissioner is empowered in clause (a) to construct, purchase, take on lease or otherwise acquire any building or land for the purpose of establishing a Corporation slaughter house, in clause (b) to build and maintain a slaughter house, in clause (d) to close any slaughter house and to dispose of the property of the Corporation, the premises occupied for slaughter house, in clause (h) to put up to public auction, or to dispose of by private sale for privilege of occupying or using any slaughter house. Besides, sections 429 and 430 of the said Act provides for giving permission to slaughter any animal, sale and to fix premises for the slaughter of animals of any particular kind respectively. The said sections 429 and 430 were not in conformity with the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 and the Food Safety and Standards Act, 2006 and the rules made thereunder which are central enactments falling under the entries enumerated in the Concurrent List of the Seventh Schedule to the Constitution of India . In the situation stated above and in the light of the decision of the Hon'ble Supreme Court in the writ petition Lakshmi Narayan Modi *v.* Union of India and Others, it has been decided to amend clause (xxi) of section 114 and section 422 to *omit* the words 'slaughter houses' therefrom and to *omit* sections 429 and 430 .

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2018 (U.P. Ordinance no. 2 of 2018) was promulgated by the Governor on January 29, 2018.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
VIRENDRA KUMAR SRIVASTAVA,
*Pramukh Sachiv.*

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 20 राजपत्र–2018–(48)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 8 सा0 विधायी–13–4–2018–(49)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी / आफसेट)।